



2026:AHC:25870-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **2633 / 2026**

नौशाद

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार मिश्रा, दार्शनिक सोनकर, संदीप कुमार चौरसिया

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

i) थाना-धामपुर, जनपद-बिजनौर में पंजीकृत आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.12.2025 से उत्पन्न मुकदमा अपराध संख्या 0470 / 2025, अंतर्गत धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम में मामले की उचित और निष्पक्ष विवेचना करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ii) प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त मामले की विवेचना किसी अन्य थाना के उच्च अधिकारी या किसी अन्य निष्पक्ष जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने हेतु निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

iii) ऐसा कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे।

iv) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका का खर्च दिलाया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. 18.12.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता पुलिस अधीक्षक, बिजनौर के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन दे सकते हैं। यदि पुलिस अधीक्षक, बिजनौर के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो पुलिस अधीक्षक, बिजनौर/ प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

5 फरवरी, 2026

जफर

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"